बिहार सरकार

<u>ग्रामीण विकास विभाग</u>

पत्रांक 386284 पटना, दिनांक 29/08/18

ग्रा0वि0-5/प्र0आ0यो0(2018-19क0)-102-09/2018

प्रेषक,

अरविन्द कुमार चौधरी,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

<u>सभी जिला पदाधिकारी,</u>
सभी उप विकास आयुक्त,
बिहार ।

विषय :- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लाभार्थियों के साथ सीधा संवाद हेतु "आवास दिवस" के साथ ही "लाभार्थी संवाद" भी आयोजित करने के संबंध में ।

महाशय,

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत सभी आवासों को दिनांक 07.11.2018 तक पूर्ण कराने के लिए लाभुकों को जागरूक करने तथा House Design की सूचना देने के साथ ही ग्राम पंचायत के सभी लाभुकों की सूची को पढ़कर सुनाने, निर्माणाधीन आवासों को पूर्ण कराने के महत्व को समझाकर प्रेरित करने तथा लाभुकों की समस्या से अवगत होकर उसका त्वरित समाधान किये जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है । इस क्रम में प्रतीक्षा सूची में नये नाम जोड़ने के लिए Application generation की विधि की जानकारी भी दिया जाना आवश्यक है ।

विदित हो कि विभागीय पत्रांक-382744 दिनांक-03.08.18 द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत दिनांक 07.11.18 तक आवास पूर्णता एवं गृह प्रवेश हेतु विशेष अभियान चलाने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये हैं जिसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्रामीण आवास सहायक के द्वारा प्रत्येक 15 दिनों पर आवास दिवस का आयोजन किया जाना है ।

उपर्युक्त के आलोक में प्रत्येक ग्राम पंचायत में लाभार्थियों के साथ सीधा संवाद हेतु माह के 15 तारीख एवं 30 तारीख को आवास दिवस के साथ ही लाभार्थी संवाद आयोजन करने का निर्णय लिया गया है । आवास दिवस में जिला स्तर से पदाधिकारी एवं प्रखण्ड स्तर से पर्यवेक्षीय कर्मी की उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी । नामित पदाधिकारी/कर्मी पंचायत के MIS Data के साथ भाग लेंगे तथा उनके द्वारा आवास सहायक की पंजी की जाँच भी की जायेगी ।

आवास दिवस का आयोजन पूर्वाहन में एक पंचायत एवं अपराहन में दूसरे पंचायत में किया जायेगा । आवास दिवस के आयोजन हेतु उपयुक्त स्थल का चयन इस प्रकार किया जायेगा कि उस पंचायत के अधिकतम लाभुक आसानी से इसमें भाग ले सकें और तदनुरूप आवास दिवस का समय निश्चित कर ग्रामीण जनता के बीच प्रचारित कराया जायेगा ।

आवास दिवस में पंचायत के सभी लाभुकों का नाम पढ़कर सुनाते हुए यह बताया जायेगा कि प्रत्येक लाभुक को आवास की स्वीकृति तथा प्रथम/द्वितीय/तृतीय किश्त की विमुक्ति कौन सी तिथि को हुई है तथा लाभुकवार आवास निर्माण की क्या स्थिति है ? प्रतीक्षा सूची के अन्य लाभुकों का नाम भी पढ़कर सुनाया जायेगा ताकि लाभुकों को अपने क्रम की सही स्थिति ज्ञात हो सके तथा किसी प्रकार के बिचौलिये लाभुकों को भ्रमित न कर सकें ।

आवास दिवस में लाभुकों को योजनान्तर्गत लाभ पाने की पात्रता के साथ ही सहायता राशि प्राप्त करने के स्वच्छ एवं पारदर्शी क्रियाविधि से अवगत कराया जायेगा ताकि लाभुक किसी अवांछित तथ्य से गुमराह होने से बच सकें । लाभुकों को चार माह के अंदर आवास निर्माण कराने पर राज्य सरकार की ओर से "मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास प्रोत्साहन योजना" के अंतर्गत 1000 (एक हजार रूपये) की अतिरिक्त सहायता राशि दिये जाने की जानकारी भी दी जायेगी ।

आवास दिवस में उपस्थित पदाधिकारी द्वारा लाभुकों से सीधा संवाद कर योजना का लाभ प्राप्त करने में कठिनाई से भी अवगत हुआ जायेगा और लाभुकों द्वारा किसी परेशानी/कठिनाई से अवगत कराने पर उसके समाधान का मार्ग भी बताया जायेगा तथा संबंधित कर्मी/पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश निर्गत किये जायेंगे ।

अत: अनुरोध है कि आवास दिवस में भाग लेने हेतु जिला स्तर से नामित पदाधिकारियों एवं प्रखण्ड स्तर से नामित किये जाने वाले पर्यवेक्षीय कर्मियों का पंचायतवार रोस्टर बनाकर प्रत्येक माह के 15 एवं 30 तारीख को आवास दिवस का आयोजन हेतु सभी संबंधितों को आवश्यक निदेश निर्गत किया जाय ।

विश्वासभाजन

23/8/18

(अरविन्द कुमार चौधरी)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 386284 पटना, दिनांक 29/08/18

प्रतिलिपि- सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

23/8/18

सरकार के सचिव

D:\D Drive\Mukesh\IAY 2312 A.doc